Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 76-2017/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MAY 4, 2017 (VAISAKHA 13, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 4th May, 2017

No. 24-HLA of 2017.— The Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2017, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 24-HLA of 2017

THE INDIAN STAMP (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2017

A

BILL

further to amend the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-eighth year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Indian Stamp (Haryana Amendment) Act, 2017. Short title.

2. In Schedule 1-A to the Indian Stamp Act, 1899, under column "Proper Stamp Duty".- Amendment of Schedule 1-A to Central Act 2 of 1899.

(a) against article 5,-

(i) in clause (a), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One rupee for every ₹ 10,000/- or part thereof.";

(ii) in clause (b), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Subject to a maximum of ₹ 1000/-, one rupee for every ₹ 10,000/- or part thereof of the value of the security or share.";

(b) against article 28, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One rupee.";

(c) against article 36, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One rupee.";

(d) against article 43,-

(i) in clause (a), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One rupee.";

(ii) in clause (b), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"One rupee for every ₹ 10,000/- or a part thereof, of the value of the security at the time of its purchase or sale, as the case may be.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to rationalize of the rate of stamp duty on transaction of instruments of Security & Commodity the State Government of Haryana intends to amend the provisions under Article No. 5, 28, 36 and 43 of Schedule1-A of the Indian Stamp Act, 1899. Therefore, the Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2017 is placed on the Table of House.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Revenue and Disaster Management Minister,
Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 4th May, 2017.

R. K. NANDAL,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

For rationalization of the rate of stamp duty on instruments of Security & Commodity the State Government of Haryana intends to amend the provisions of stamp duty under Article No. 5, 28, 36 and 43 of Schedule1-A of the Indian Stamp Act, 1899. The Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2017 will increase the income of the State from stamp duty. The existing and the proposed rates of stamp duty are as under:-

Article	Description of Instrument	Present Proper Stamp Duty	Proposed Proper Stamp Duty
5.	Agreement or memorandum of an Agreement. (a) If relating to the sale of a bill of exchange.	40 naya paisa.	One rupee for every Rs. 10,000/- or part thereof.
	(b) If relating to the sale of a Government Security or share in an incorporated company or other body corporate;-	Subject to a maximum of Rs. 22.50 naye Paise, 25 naye Paise for every Rupees ten thousands or part thereof the value of the security or share.	One rupee for every Rs. 10,000/- or part thereof the value of the security or share subject to maximum of Rs. 1000/-.
28.	Delivery order in respect of goods deposit of title deeds-	25 naya Paise	One rupee
36.	Letter of Allotment of Shares.	30 Paise	One rupee.
43.	Note on Memorandum, sent by a Broker or Agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal. (a) of any goods exceeding in value twenty rupees.	40 naya paise.	One rupee.
	(b) of any stock or marketable security exceeding in value twenty rupees;	Subject to a maximum of Rs. 30.30 naye Paise, 30 neya Paise, for every 10000 part thereof the value of the security or stock.	One rupee for every 10,000/- or a part thereof, of the value of the security at the time of its purchase or sale, as the case may be.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2017 का विधेयक संख्या–24 एच०एल०ए०

भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2017

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899,

हरियाणा राज्यार्थ, को आगे

संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है ।

1899 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की अनुसूची 1–क का संशोधन।

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 की अनुसूची 1–क में, ''उचित स्टाम्प शुल्क'' खाने के नीचे,–

(क) अनुच्छेद 5 के सामने,–

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"प्रति ₹ 10,000/– या उसके भाग के लिए एक रुपया।";

(ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"अधिकतम ₹ 10,000/– के अध्यधीन, प्रतिभूति या शेयर के मूल्य का प्रति ₹ 10,000/– या उसके भाग के लिए एक रुपया।";

(ख) अनुच्छेद 28 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"एक रुपया।";

(ग) अनुच्छेद 36 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"एक रुपया।" ;

(घ) अनुच्छेद 43 के सामने,–

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"एक रुपया।";

(ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"प्रतिभूति के क्रय या विक्रय, जैसी भी स्थिति हो, के समय पर इसके मूल्य का प्रति ₹ 10,000/– या उसके भाग के लिए एक रुपया।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

प्रतिभूति तथा पदार्थों के लेन–देन से सम्बन्धित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने अनुसूची 1–ए के प्रावधानों के अधीन मद क्रमांक 5, 28, 36 और 43 में संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2017 को सदन पटल पर रखा गया है।

कैप्टन अभिमन्यु,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मन्त्री,
हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 4 मई, 2017.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

प्रतिभूति तथा पदार्थों के लेन–देन से सम्बन्धित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए हरियाणा की राज्य सरकार ने अनुसूची 1–ए के मद क्रमांक 5, 28, 36 और 43 में स्टाम्प शुल्क की दरों के प्रावधानों में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इसलिए भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2017 राज्य की आय को स्टाम्प शुल्क से बढ़ाएगा। वर्तमान और स्टाम्प ड्यूटी की प्रस्तावित दरें निम्नानुसार है –

मद	लिखतों का वर्णन	प्रचलित उचित स्टाम्प शुल्क	प्रस्तावित स्टाम्प शुल्क दर
5.	करार या करार का ज्ञापन (क) यदि एक्सचेंज के बिल की बिक्री से संबंधित है–	40 नया पैसा	एक रुपया प्रत्येक 10000 रूपये या उसके भाग के लिए
	(ख) यदि यह विनिमय पत्र के विक्रय से या सरकारी प्रतिभूति के विक्रय या किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में के अंश के विक्रय से संबंधित है–	प्रत्येक 10000 रुपये के लिए या उसकी हिस्सेदारी प्रतिभूति के मूल्य के लिए अधिकतम सीमा 22.50 पैसे तक।	विनियम पत्र या प्रतिभूति या अंश के मूल्य के प्रत्येक 10000 रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया अधिकतम 1000 की सीमा तक
28.	माल के संबंध में परिदान आदेश	25 नया पैसा	एक रुपया
36.	अशों का आबंटन पत्र	30 नया पैसा	एक रुपया
43	नोट या ज्ञापन जो कि दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को, ऐसे मालिक के लिए निम्नलिखित के क्रय या विक्रय की सूचना देते हुए भेजा गया हो– (क) ऐसे किसी भी माल का, जो 20 रुपये से अधिक मूल्य का हो,	40 नया पैसा	एक रुपया
	(ख) ऐसे किसी भी स्टाक या विक्रय प्रतिभूति का जो 20 रुपये से अधिक मूल्य का हो,	30 रुपये 30 पैसा के अधिकतम स्टाम्प शुल्क के अध्यधीन रहते हुए, स्टाक या प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक 10000 रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया	प्रतिभूति के मूल्य पर इसके क्रय और विक्रय के समय जैसी भी स्थिति हो के प्रत्येक 10000 रूपये या उसके भाग के लिए एक रुपया